GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION
Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month w.e.f. 01.04.2024.

NOTE:-

No. Shram (A)4-1/2024

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- **4.** 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Priyanka Basu IngtySecretary (Lab. Emp.& O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2024** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees

UN-SKILLED W	ORKERS:				Rupees	Rupe
Bhisthi/Chimini	Cleaner/	Chowkidar/	Distemperer	Grade-	400	12,000
II/Glazier/Helper f	for Plumber	or Workshop/Ro	ock Cutting Labo	our/Stone		
Breaker/Stone	Chiseler	:/Sweeper/Spray	man	for		
Bitumen/Pipelinem	nen/Electrical	Coolie/Security	y Guard/Beldar	/Cleaner-		
Tractor & Road	Roller &	concrete mixer	:/Majdoor /Surv	ey Boy/		
Watchmen/ Tea b	oy/Peon/Dre	sser/ Oilmen/Gr	easer/ Messhelp	ers/ Boy		
Helper (0 to 5 year	s)/ Khalasi (0	to 3 years)/Bill	Distributors/ Mu	icker		

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/	425	12,750
Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/		
Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic		
Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant		
Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/		

Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2372 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2646 per 100 cft.

SKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/	464	13,920
Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/		
Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/		
Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji		
or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/		
Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/		
Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop		
Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel		
Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/		
Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/		
Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/		
Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper		
Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill		
Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice		
Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/		
Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi /		
Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter		
/Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable		
Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/		
E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter		
Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work		
Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set		
Operator/Workshop Forman Grade-II.		

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-	553	16,590
I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-		
I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter		
Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/		
Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer		
Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.		

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/	464	13,920
Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill		
Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro		
Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector /		
Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.		

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Privanka Basu Ingtv

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2024 as under:-**

General Staff Unskilled

Rs.400 per day, Rs. 12,000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semiskilled

Rs. 415 per day, Rs.12,450 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 453 per day

or Rs. 13,590 per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 503 per day or Rs. 15,090

per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 453 per day or Rs. 13,590 per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs. 477 per day or Rs. 14310 per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs. 562 per day

Rs. 16,860 per month.

RUNNING STAFF	Per Day	Per month
1.Driver	Rs. 508	Rs. 15,240
2.Conductor	Rs. 464	Rs. 13920
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs. 434	Rs. 13020
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 278	Rs. 8340

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adultor non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2024 as under:-**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/	Rs.400 Daily	Rs 371 Daily
Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/		
Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/	Rs.12000 Monthly.	Rs. 11,130 Monthly
Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other		
worker doing unskilled job.		

Semi-Skilled	Rupees	Rupees		
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.423 Daily.	Rs. 413 Daily		
Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman /	Rs. 12,690 Monthly.	Rs. 12.390 Monthly		
Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector		1100 12,000 0 1/1010111		
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/				
Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/				
Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/				
Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/				
Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film				
Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/				

WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.464 Daily.	Rs. 427 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter	Rs.13,920 Monthly.	Rs. 12,810 Monthly.
(Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/	1130120,520 171011011111111	1.50 12,010 1/10.1011.j.
Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/		
Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./		
Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/		
Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Bar		
ber/Regular machine man/ machinist/		
Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptionist/		
Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer		
(Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who		
are working in the same trade.		

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier	•	Rs. 447 daily
Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	d Rs.14.490	Rs. 13,410 Monthly
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen		
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)		

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

- experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024 Date

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly

UNSKILLED WORKERS

1	Felling of trees:	Rs. 400	Rs. 12,000
	1.Lopper (Changi)	Rs. 423	Rs. 12,690
	2.Feller (Garani)	Rs. 409	Rs. 12,270
2	Logging and sawing including timber passing:		
	1.Dresser (Panchani)	Rs. 409	Rs. 12,270
	2.Sawyer (Charani)	Rs. 503	Rs. 15,090
	3.Blacksmith	Rs. 473	Rs. 14,190
3	Carriage, stacking and timber passing by manual lab	oour:	
	1. Mazdoor for carriage	Rs. 409	Rs. 12,270
	2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 409	Rs. 12,270

4	Carriage of timber by Aerial ropeways:				
	1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.503	Rs.15,090		
	2.Span Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190		
5	Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pat floting):	hru), Nullah Bhaan a	nd Darya Bahaan (River		
	1. Mohri-wala Mistry	Rs. 539	Rs. 16,170		
	2. Taru	Rs. 517	Rs.15,510		
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 483	Rs. 14,490		
	4. Darya-man	Rs. 517	Rs. 15,510		
	5. Ghalu	Rs. 440	Rs. 13,200		
	6. Jamadar	Rs. 440	Rs. 13,200		
6	Mechanised logging and timber extraction:				
	1.Surveyor	Rs. 506	Rs. 15,180		
	2.Ski-line Operator	Rs. 473	Rs. 14,190		
	3 Truck Driver	Rs. 443	Rs. 13,290		
	4. Compressor Driver	Rs. 443	Rs. 13,290		
7	Clerical Staff:				
	1.Manager	Rs. 583	Rs. 17,490		
	2.Accountant	Rs. 449	Rs. 13,470		
	3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 409	Rs. 12,270		
	8. Saw Mill Workers:				
	1.Band Saw Mistry				
	2.Supervisor	Rs. 473	Rs. 14,190		
	3.Head Mistry	Rs. 467	Rs. 14,010		
	4.Boiler Driver	Rs. 473	Rs. 14,190		
	5.Assistant Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190		
	6.Planner Mistry	Rs. 415	Rs. 12,450		
	7.Helper	Rs. 415	Rs. 12,450		

Rs. 409

Rs. 12,270

8.Cutter man

		Rs. 409	Rs. 12,270
9	Katha Extraction:		

1.Feller and Chipper	Rs. 409	Rs. 12,270	
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 409	Rs. 12,270	

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 553 Daily. Rs. 16,590 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates	
Unskilled	Rs. 400 Daily.	
	Rs. 12,000 Monthly.	
Semi Skilled		
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant	Rs. 413 Daily.	

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Rs. 413 Daily.

Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Rs. 12,390 Monthly.

Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant, Jamadar,

Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman,

Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector,

Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Storekeeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 464 Daily.

Rs. 13,920 Monthly.

Highly Skilled

Rs. 16,590 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09. 2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

Rs. 400 Daily or

Rs. 12,000 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 413 Daily or

Rs.12,390 Monthly.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner

Rs. 464 Daily.

Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Rs.13,920 Monthly Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Rs. 553 Daily.

Rs.16,590 Monthly.

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 429 Daily.

Rs.12,870 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

Amar Singh

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers

Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;

Rs. 12,000 Monthly.

Rs. 400 Daily or

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **29** per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 22 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 17 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 29, Rs. 22 Rs. 17 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 407** per day, **Rs. 12210** per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,

Rs. 400 daily

relling room workers, shifting Mazdoor,

Rs. 12,000 Monthly.

Fermenting room workers, tea boys,

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Rs. 400 daily

Muharirs etc. who maintain records of a field work
Rs. 12,000 Monthly.

and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 611	Rs. 18,330 accommodati	-	month	plus	free
2. Clerks	Rs. 464	Rs. 13,920 accommodati	-	month	plus	free
3. Munshi	Rs. 487	Rs. 14,610 pas admissible		-	ree bei	nefits
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 407	Rs. 12,210 pe admissible.	er month	plus fro	ee bene	fit as
		Daily		Mont	thly	
5. Compounder		Rs. 567		Rs. 1	7010	
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 508		Rs. 1	5,240	
7. Mechanic,		Rs. 571		Rs. 1	7,130	
8. Assistant Mechanic		Rs. 506		Rs. 1	5180	
9. Electrician-cum- Mechanic G	Grade-I	Rs. 571		Rs. 1	7,130	
10.Electrician-cum- Mechanic (Grade-II	Rs. 506		Rs. 1	5180	

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.
- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers Rs. 400 P.D. or Rs. 12,000 per month

Semi-skilled Rs. 412 P.D. or Rs. 12,360 per month

Skilled & clerical staff Rs. 464 P.D. or Rs. 13,920 per month

Highly-Skilled Rs. 553 P.D. or Rs. 16,590 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

Amar Singh

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room	Rs. 400 Daily	Rs. 371 Daily
Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 12,000 Monthly	Rs. 11,130 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman /	Rs. 423 Daily	Rs. 388
Assistant Baker/ Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners	Rs. 12,690 Monthly	Rs. 11,640 Monthly.
/Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant		
Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant		
Welder/ Assistant Electrician/ Assistant		

Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS:	Rup	ees. Rupe	ees.

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Stewar Rs. 464 Daily Rs. 427 Daily

d/Butler/Draughtsman/TelephoneOperator/Rece

ptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head

Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI

Rs. 13920 Monthly.

Rs. 12,810 Monthly.

certificate holder who

are working in the same trade.

Highly Skilled Rupees. Rupees.

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant Rs. 483 Daily Rs. 447

/Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head

Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/

Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter Rs. 14,490 Monthly. Rs. 13,410 Monthly.

(Tailoring)

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge

of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month

Semi-skilled Rs. 423 per day or Rs. 12,690 per month

Skilled Rs. 464 per day or Rs. 13,920 per month

Highly skilled Rs. 483 per day or Rs 14,490 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv)Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09. 2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers

Minimum Wages

		S
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator,	400	12,000
Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant		
Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant		
Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator,		
Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to		
Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to		
Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi,		
Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to		
Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone		
Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to		
Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper,		

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR 425 12,750 Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali

SKILLED WORKERS:

464 Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Clerk, Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer 553
Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator,
Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator,
Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant
Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior
Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto

13,920

53 16,590

Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of	Minimum	Admissibility of	Total Wages	Admissibility of	Total
	Worker	Rates of	25% increase in	arrived at as	20% Tunnel	admissibility
		Wages	Under-	per column	Allowance over and	of Minimum
			Construction Hydro	no. 3+4	above the	Wages
			Electric Power		Minimum Rates of	
			Projects Located in		Wages as per the	
			Non-Tribal Areas		column no. 5	
		(per day)	, , ,		, , ,	
		(Dc.)	(per day)	(per day)	(per day)	(per day)
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
		_				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(A)	Unskilled	400	100	500	100	600
(B)	Semi-Skilled	425	106	531	106	637
(C)	Skilled	464	116	580	116	696
(D)	Highly-Skilled	553	138	691	138	829

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09. 2024

- Copy for information and necessary action to:-
- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store	Rs. 400	Rs. 12,000
Helper, House Keeping Helper, Peon.		
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-	Rs. 413	Rs. 12,390
Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant		
Store Munshi, Complaint Attendant.		

Skilled

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Rs. 464 Rs. 13,920 Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion **Rs. 553 Rs. 16,590** Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

Monthly.

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office		
Boy and Masalchi.	400 Daily	371 Daily
	12,000 Monthly.	11,130 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi,	423 Daily. 12690 Monthly	387 Daily. 11,610 Monthly.
Complaint Attendant, Ward Boy and	-: y	·
Ward Attendant (0-3 Years Experience)		
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher,	464 Daily	427 Daily
ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator,	13,920	12,810

Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, Monthly

CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior	•	447 Daily
Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant	14,490	13,410 Monthly.
and Stenographer	Monthly	

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu IngtySecretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION Dated Shimla-2, the

No. Shram(A)4-1/2024 Da

23.09.2024.

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01.04.2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodati on provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and	400 Daily	338 Daily.
Washer man	12,000 Monthly.	10,140 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	423 Daily.	351 Daily,
	12,690 Monthly	10,530 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	464 Daily.	373 Daily
	13.920 Monthly	11.190 Monthly.

<u>NOTE:-</u>

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Privanka Basu Ingtv

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

16. Safai Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper,	Rs. 413	Rs. 12,390
Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.		
Skilled		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk,	Rs 464	Rs. 13,920
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.		
Highly Skilled		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer,	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Privanka Basu Ingtv

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024

- Copy for information and necessary action to:-
- All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
 The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Muand Complaint Attendant. Skilled	nshi Rs. 413	Rs. 12,390
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Account Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator Cashier.		Rs. 13,920
Highly Skilled		

Rs. 553

Rs. 16,590

Stenographer and Accountant.

Security Officer, Security Manager,

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Skilled**: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu IngtySecretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh. 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT& O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09. 2024.

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	400 Daily	371 Daily
	12,000 Monthly	11,130 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant,	423 Daily	413 Daily
Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant,	12,690 Monthly	12,390 Monthly
Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper,	,	,
Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.		
Skilled:	Rs.	Rs.

464 Daily

13,920 Monthly

427 Daily

12,810 Monthly

Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook,

Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer,	483 Daily.	447 daily
Stenographer, and Accountant.	14,490 Monthly	13,410 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.09.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09, 2024.

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Minimum	
	Daily	Monthly
Un-skilled Workers :-		
Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 400	Rs. 12,000

Semi-skilled:-

Helper Cook, Cash Collector, Assistant	Rs. 413 per day or
Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security	
Guard and Complaint Attendant.	Rs. 12,390 per month

Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,	Rs. 464 per day or
Computer Operator, Data Entry Operator and	
Cashier.	Rs. 13,920 per month

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer and Rs. 553 per day or Accountant.

Rs. 16,590 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

23.09. 2024

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्युनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदुरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्युनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से 400 रूपए प्रतिदिन या 12,000 रूपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी-:

- समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम,1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- हिमाचल प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

(i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास् ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

तारीखः संख्याः Shram(A)4-1/2024

शिमला-2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल ।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

रुपए

रुपए

12,750

12000

रुपए

400

रुपए

425

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कृशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **सडकों** का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संकियाओं, पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई / (क्शिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04. 2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग संशोधित मजदूरी दैनिक मासिक

अकुशल कर्मकारः

<u>िमशती</u> <u>क्लीनर</u> <u>क्लीनर</u> <u>क्लीनर</u> <u>किस्टेम्परर</u> <u>ग्रेड</u>—।। <u>/</u> गलेजियर / पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर / रोक किंग लेबर / स्टोन <u>बेकर</u> <u>/ स्टोन चिस्लर</u> <u>स्वीपर</u> <u>बिटु</u>मन के लिए स्प्रे <u>मैन / पाइप</u> लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी—गार्ड / बेलदार / क्लीनर ट्रैक्टर एव रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर / मजदूर सर्वे बॉय / वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी) / <u>ड्रेसर</u> / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर / मक्कर ।

अर्घकुशल कर्मकारः

कारपेन्टर ग्रेड—।।/ मैसन ग्रेड——।। / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड——।। / सैनिटरी फिटर ग्रेड—।। / पेन्टर / मैल्टर मेट / स्प्रे—मैन रोडज / केन—मैन / बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / केन—मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड—।/फिटर ग्रेड—।। फलोर—पालिशर / स्टोन ड्रेसर / माली / विल—सिंकर / वहाइट—वाशर / वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड——।।, टर्नर—ग्रेड——।। / पाइप फिटर ग्रेड——।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलंडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस) / मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल—मैन / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक) / आयल—क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड—वाचमैन / सहायक—लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन—द्रैसर / पम्प—एटैन्डेन्ट / औटा इलैकिट्रिशयन ग्रेड—।। / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / औटो इलैकिट्रिशयन / मोटर—मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / स्टोन—डैशर स्टोन—बेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन—क्रेशर

½ इंच से 2 इंच

2372 रुपए प्रति सौ घन फुट
1 इंच से 1¼ इंच रुपये 2646 रुपए प्रति
सौ घन फुट

13,920

कुशल कामगारः

कारपेन्टर ग्रेड— ।/ मैसन ग्रेड— ।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड—।/अप—होलसल्टर ग्रेड— । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.—।। / जल आपूर्तिफिटर / कारपेन्टरग्रेड— ।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड— ।/दर्जी या टेलर ग्रेड— ।/दर्जी या टेलर ग्रेड—। / क्रशर ड्राइवर / अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन—ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड—। /पाईप फिटर ग्रेड—।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर

₹₀. ₹₀.

464

/ मिक्सर—आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड——।। / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर—झइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृशिंग प्लांट फिटर / (बी॰) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर—आपरेटर / शाफ़्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्रेपर—आपरेटर / लोडर आपरेटर / कृन—आपरेटर / युकलिड—आपरेटर / वैगन द्विलआपरेटर / बोरिंग—आपरेटर / एस॰एल॰डी॰ कृन आपरेटर / (बी॰) प्लांट—आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लेक स्मिथ / ट्रेक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमेन टेलीफोन आपरेटर /खलासी / जमादार / वाइन्डर /ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेविलरज सॉ मिल कटर / कंबल जाइन्टर / फोरमैन ग्रेड——।। /खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / इलेक आपरेटर / गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क—मिस्त्री / मोटर—मेट / ट्रेक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी॰जी॰सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।

उच्च कुशल

कंवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड— । / चार्ज मैन ग्रेड—। / वर्कशाप 553 16,590 फोरमैन ग्रेड—। / टर्नर ग्रेड—। / मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड—। / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर / वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशयन / कैमिकल एनालाइजर ।

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

रुपए रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर—कीपर / 464 13,920
स्टोर—मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर —रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल—क्लर्क / इरीगेशन
बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो—प्रिंटर / ड्राइवर (जीप / कार /ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा—लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

टिप्पणी-:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रों इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी / लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों मे निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं मे कार्यरत कर्मकारों की दशा मे अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के

- उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला—2

23.09.2024

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी

400 रुपए प्रतिदिन 12000 रूपए

प्रतिमास

12450 रुपए

प्रतिमास

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)

400 रुपए प्रतिदिन

415 रूपए

प्रतिदिन

12000 रूपए प्रतिमास

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है।

1. सहायक इलैकिट्रशियन

- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर

अर्ध-कुशल

- 4. सहायक ब्लैक स्मिथ
- 5. सहायक कारपेंटर
- 6. सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- 8. सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कुशन-मेकर
- 11. सहायक बोल्केनाइजर
- 12. सहायक पेंटर
- 13. सहायक अपहोलस्टर
- 14. सहायक टायरमैन
- 15. सहायक स्प्रेमैन
- 16. सहायक इलैकिट्शियन मकैनिक
- 17. सहायक रिट्रीडर
- 18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
- 19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक रिमथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

रू 453 प्रतिदिन या रु. 13,590 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर।

रू० 503 प्रतिदिन या रु. 15090 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रूप -ए:

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रू० 453 प्रतिदिन या रु. 13590 प्रतिमास

ग्रुप-बीः

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन रू 477 प्रतिदिन या सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक रु. 14310 प्रतिमास

ग्रुप-सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रू० 562 प्रतिदिन रु. **16860** प्रतिमास

रंनिग–स्टाफः

1 ड्राइवर

रू० 508 प्रतिदिन रु.15240 प्रतिमास

2 कन्डकटर

रू० 464 प्रतिदिन रु. 13920 प्रतिमास

3 कलीनर कम कन्डकटर

रू० 434 प्रतिदिन रु. 13020 प्रतिमास

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लिक

रू० 278 प्रतिदिन रु. 8340 प्रतिमास

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला—2

23.09.2024

4. दुकाने एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साँथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई गई संयुक्त आवास, सुविधा है उपलब्ध करवाई गई है

कुशल :

हेल्पर /शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट /पोर्टर / मिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रु० ४०० प्रतिदिन रुपए 371 प्रतिदिन रुपए 12000 मासिक रुपए 11130 मासिक

अर्घकूशल:

हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट / बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिटेंट - हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-किटेंग औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाइंड / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक / वेल्डर सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-वेल्डर / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर / वेयरर / ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटेन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट / 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट धारक।

रु० **423** प्रतिदिन तथा रु० **12690** प्रतिमाह रु० **413** प्रतिदिन तथा रु० 12390 प्रतिमाह

ब्लैक रिमथ / टिनरिमथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर / सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/ स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक/ हलवाई क्क / कन्फैक्शनर / बेकर / बटलर / फिटर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डिस्मिथ / शू—मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/ लाइनमैन आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

464 प्रतिदिन रुपए 427 प्रतिदिन रुपए 12810 मासिक रु॰13920 मासिक

उच्च–कुशलः

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य रू० 483 प्रतिदिन खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर /हैड-मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रु∘14490 मासिक

रु० ४४७ प्रतिदिन रु॰ 13410 मासिक

टिप्पणी:-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्युनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अक्शल/अर्द्ध-क्शल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अक्शल:– अक्शल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-क्शलः अर्द्ध-क्शल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में (iii) सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

क्लैरिकल स्टाफ :

1. मैनेजर

7

तारीखः

शिमला-2 5. वानिकी उद्योग

23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थीं;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	न्यूनतम मजदूरी
		दैनिक	मासिक मारिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वृक्षी का गिराना	रुपए 400	रुपए 12000
•	१ लेबर (छांगी)	-	(1, 12000
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 423	रुपए 12690
	,	रुपए ४०९	रुपए 12270
2	लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 409	रुपए 12270
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 503	रुपए 15090
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 473	रुपए 14190
		_	
3	ढुलान, ढेरी लगाना और भाारिरीक श्रम द्वारा इमारती लक	ञ्डी का हस्तांतरणः	
	1. ढुलाई के लिए मज़दूर।	रुपए ४०९	रुपए 12270
	2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मज़दूर।	रुपए ४०९	रुपए 12270
4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 503	रुपए 15090
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), ना	ाला बहान और दरिय	।। बहान और (रिवर फलोटिंग) द्वारा
	ढुलाई:		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 539	रुपए 16170
	2. तारू	रुपए 517	रुपए 15510
	3. असिसटैंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 483	रुपए 14490
	4. दरियामैन	रुपए 517	रुपए 15510
	5. घालू	रुपए 440	रुपए 13200
	6. जमादार	रुपए 440	रुपए 13200
6	यत्रींकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासीः		
	1. सर्वेयर	रुपए 506	रुपए 15180
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 473	रुपए 14190
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290

रुपए 17490

रुपए 583

	 एकाउन्टैंट मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क 	रुपए 449 रुपए 409	रुपए 13470 रुपए 12270
8	सॉ मिल वर्कर : 1.बैंड सॉ मिस्त्री 2.सुपरवाइजर 3.हैंड मिस्त्री 4.बॉयलर ड्राइवर 5.एसिसटैंट मिस्त्री 6.पलेनर मिस्त्री 7.हैल्पर 8.कटर मैन	रुपए 473 रुपए 467 रुपए 473 रुपए 473 रुपए 415 रुपए 415 रुपए 409	रुपए 14190 रुपए 14010 रुपए 14190 रुपए 14190 रुपए 12450 रुपए 12270 रुपए 12270
9	कत्था निकासी : 1. फैलर तथा चिप्पर 2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 409 रुपए 409	रुपए 12270 रुपए 12270

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 553 दैनिक रुपए 16590 मासिक

टिप्पणी-:

- 1 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होनाआवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सीपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv)उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास् ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला–2

23.09.2024

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग संशोधित न्यूनतम दरें

दैनिक मासिक

अकुशलः रूपए ४०० रूपए 12000

अर्धकुशलः दैनिक मासिक

रूपए रूपए

12390

रूपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, 413 एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मथ, एसिटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—।, मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर—कम—मार्किट सैलर, अम्पुलर,हैगमैन, आई,टी,आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशलः दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिध, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट—फोरमैन, हैड—जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड—।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ड्राइवर, ड्राफटसमैन, एसिस्टैंट—कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

464 13920

कट) बारक जा समान ट्रंड न कावरत है । दैनिक मसिक

उच्च–कुशलः

बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन । **रूपए रूपए** 553 16590

िटप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।

- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23 09 2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2 7. **इंजीनियरिंग उद्योग** 23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गिटत की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

अकुशल अर्घकुशलः	दैनिक रूपए 400	मासिक रूपए 12000
टेपर ग्रेड— ।।।, टर्नर ग्रेड— ।।।, ड्रिलर ग्रेड— ।।।,रोमर ग्रेड— ।।।, शेयर मैन ग्रेड— ।।।, मशीनमैन,मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड— ।।।, ब्रजर ग्रेड— ।।।, हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड— ।।।, प्रेस आपरेटर ग्रेड— ।।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड— ।।।, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड— ।।।,असैम्बलर ग्रेड— ।।।,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड— ।।।, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड— ।।।, मोपर ग्रेड— ।।।,ग्राइंडर ग्रेड— ।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड—मकैनिक, आपरेटर ग्रेड— ।।।, थेड़ / रोलर आपरेटर ग्रेड— ।।।, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड— ।।।, फीडर ग्रेड— ।।।, डाइमेकर ग्रेड— ।।।, वैल्डर ग्रेड— ।।।, टिनस्मिथ ग्रेड— ।।।, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड— ।।।, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड— ।।।,बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड— ।।।, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड ।।।, ऑयलमैन।	रूपए 413	रूपए 12390

कुशलः

टेपर ग्रेड- ।।,टर्नर ग्रेड- ।।, ड्रिलर ग्रेड-।।, शेपर ग्रेड-।। , शेपर मैन ग्रेड- ।।,स्लाटरमैन ग्रेड-		
।।, मकैनिस्ट आपरेटर / ब्रजर ग्रेड–।।,लाईनर ग्रेड–।।,स्प्रे पैन्टर ग्रेड–।।, ट्रांस्फर मिकसर	रूपए	रूपए
ग्रेड-।।,प्रैस आपरेटर ग्रेड-।। , असैम्वलर ग्रेड-।।,टेलर ग्रेड-।।,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-।।, मोपर		
ग्रेड-।।,ग्राईंडर ग्रेड-।।,	464	13920
हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-।।,थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-।।,बुक स्करयू मशीन आपरेटर		
ग्रेड-।।, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-।।, फिटर ग्रेड-।।, कारपेंटर /पैट रन मेकर ग्रेड-।।,		
डाईमेकर ग्रेड –।।, साइस्टर ग्रेड–।।, वैल्डर ग्रेड–।।, टिनस्मिथ ग्रेड–।।, हैमरमैन ग्रेड–।।,		
ब्लैकस्मिथ ग्रेड—।।, टूलसैटर ग्रेड—।।, ईलैकट्रिक्ल लाईनमैन ग्रेड—।।, ईलेक्ट्रिशियन ग्रेड—।।,		
आरमैचर वाईंडर और कॉईल वाईंडर ग्रेड–।।, केबल ज्वाईंटर ग्रेड–।।, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड–।।,		
लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड–।।, मोल्डर ग्रेड–।।,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र		
धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।		

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड–।,ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड–।, शेपर मैन ग्रेड–।,सलाटरमैन ग्रेड–।, मिलर ग्रेड–।,	रूपए	रूपए
इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-।, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड-।,फिटर ग्रेड-।, कारपेंटर/पैटर्न मेकर	553	16590
ग्रेड-।,डाईमेकर ग्रेड-।,एन्ग्रेवर ग्रेंड-।, व्लैकस्मिथ ग्रेड-।,डाईसैटर ग्रेड-।,टूल सैटर		
ग्रेड— ।,इलैक्ट्रिशियन ग्रेड— ।।		

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

टिप्पणी:-

 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या मिहला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यिप उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास् ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल ।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लाटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड रूपए लापिंग) के लिए, निराई, कांट —छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल 400 दैनिक 12000 कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

ए—ग्रेंड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **29** रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेंड पत्तियां—यदि पतियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है, तो उसे **22** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेंड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे **17** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के —'ए','बी व 'सी' ग्रेड के लिए **29** रूपए, **22** रूपए और **17** रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकशल

प्लाटेशन :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 407 रूपए प्रतिदिन, 12210 रूपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना : इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर,

रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मज़दूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार,

टी ब्वाएज, सार्टज, टी-मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रूपए **400** दैनिक और रूपए **12000** मासिक

> रूपए 400 रूपए दैनिक रूपए 12000 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

1. लेखाकार रूपए 611 प्रतिदिन रूपए 18330 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।

2. लिपिक रूपए 464 प्रतिदिन रूपए 13920 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।

3. मुन्शी रूपए 487 प्रतिदिन रूपए 14610 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।

4. चपरासी / रूपए **407** प्रतिदिन रूपए **12210** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं। चौकीदार / चौधरी

		दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर	रूपए 567	रूपए 17010
6.	ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रूपए 508	रूपए 15240
7.	मकैनिक	रूपए 571	रूपए 17130
8.	असिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 506	रूपए 15180
9.	इलैक्ट्रीशियन–कम–मकैनिक ग्रेड –।	रूपए 571	रूपए 17130
10.	इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड —।।	रूपए 506	रूपए 15180

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्र-कुशल/ की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

प्रियका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2 23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड–ट में यथापरिभाशित विनिर्माण प्रकिया सहित स्थापना l

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा—2 के खण्ड—ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार अर्द्ध-कुशल कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ) रूपए 400 प्रतिदिन या रूपए 12000 प्रतिमास रूपए 412 प्रतिदिन या रूपए 12360 प्रतिमास

रूपए 464 प्रतिदिन या रूपए 13920 प्रतिमास

उच्च कुशल

रूपए 553 प्रतिदिन या रूपए 16590 प्रतिमास

टिप्पणी:

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला—2 **10.होटल और रैस्टोरैं**ट

23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरैंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग जहां संयुक्त आवास उपलब्धनहीं करवाई और खाना,चाय आदि की गई है प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशलः 1. 2. 3.

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी /स्वीपर /मसालची /गेटमैन / रूपए 400 दैनिक रूपए 371 दैनिक वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन रूपए 12000 रूपए 11130 / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी मासिक मासिक का कार्य करता हो ।

अर्घकशल कर्मकार

पँट्रीमैन / कॉफी—टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / र कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / स्टिचर / रूलिंग र किटेंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री म् / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट वैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रीशयन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन /फिल्म रिवाईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई०टी०आई० प्रमाण धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

रूपए 423 प्रतिदिन रूपए 388 प्रतिदिन रूपए 12690 रूपए 11640 मासिक मासिक

कुशल कर्मकारः

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / रूपए **464 दैनिक रूपए 427 दैनिक** स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रू० **13920 मासिक** रू. **12810 मासिक** रिसैपशनिस्ट / वेटर / वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च–कुशलः

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) /अकाउटेंट / हैड **रू. 483 दैनिक रू. 447 दैनिक** खजानची / हैड—कुक / हैड—बटलर / हैड—बेकर / **रू. 14490 मासिक** रू.13410 मासिक हैड—कम्फैक्शनर /हैड—मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) । टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला—2

23.09.2024

11. निजी शैक्षिणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षिणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गिटत की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार अर्द्ध-कुशल कुशल उच्च कुशल रु० ४०० प्रतिदिन या रु० १२००० प्रतिमाह रु० ४२३ प्रतिदिन या रु० १२६९० प्रतिमाह रु० ४६४ प्रतिदिन या रु० १३५२० प्रतिमाह रु० ४८३ प्रतिदिन या रु० १४४९० प्रतिमाह

टिप्पणीः

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित हीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5.हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"**के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अक्शल कर्मकार

न्यूनतम मज

मजदूरी मासिक

दैनिक

ক.400

₹.12000

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्युआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्कीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर -कम-बेलदार,वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले कलीनर, सहायक बुमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्घ-कुशल कर्मकार :--

किन्छ पम्प ऑपरेटर, किनिष्ठ कन्कीट पम्प ऑपरेटर, किनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन **फ.425** ऑपरेटर, किनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, किनिष्ठ नोजलमैन, किनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, किनिष्ठ किन्कीटिंग प्लांट ऑपरेटर, किनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, किनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, किनिष्ठ मैकेनिक, किनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, किनिष्ठ वेल्डर, किनिष्ठ फिटर, किनिष्ठ टायर फिटर, किनिष्ठ पेन्टर, किनिष्ठ पलम्बर,किनिष्ठ डेन्टर, किनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) किनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डैण्ट, जनेरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिव अटैन्डैण्ट, कन्कीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन इसर, लेबोद्धरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, किनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, किनिष्ठ

पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्पलेंट अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार:-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रिशंग फ.464 ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी केन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलॉक्ट्रिशयन, पेन्टर, डेन्टर ,मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाईजर, (माईंनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो केन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईडंर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर ,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्पयूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ केन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाईटंर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मिसस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

ক.464 ক.13920

₹.553 ₹.16590

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीण हाइड्रो विधुत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागु होगी।

	कामगार का वर्ग	म्जदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रू०)	गैर—आदिवासी क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्धि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रू०)	कॉलम संख्या 3 +4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रू०)	कॉलम संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20 % सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रू०)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रू०)
(ক)	अकुशल	400	100	500	100	600
(ख)	अर्ध—कुशल	425	106	531	106	637
(ग)	कुशल	464	116	580	116	696
(ঘ)	अत्यधिक—कुशल	553	138	691	138	829

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
 - (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला–2 13. फार्मास्यूटिकल उद्योग 23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

 अकुशल कर्मकार
 न्यूनतम
 मजदूरी

 दैनिक
 मासिक

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग रू.400 रू.12000

हैल्पर, चपरासी, ।

अर्घ-कुशल कर्मकार :-

तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), रू.413 रू.12390 पीडब्लयू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर,

एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट,।

कुशल कर्मकार :-

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), फ.464 फ.13920 ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड **रू.553 रू.16590** सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी० फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास् ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला—2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23 09 2024

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल / निर्संग होम और क्लीनिक"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्युनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पिटत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और संयुक्त

उपलब्ध नहीं करवाई आवास सुविधा उपलब्ध करवाई

गई है

गई है

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, कलीनर, चौकीदार,/ वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय रू. 400 दैनिक

रू 371

.आफिस ब्वाय और मसालची।

रू.12000 मासिक रू.11130 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार:-

कलीनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, रू.423 दैनिक स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, रू.12690 मासिक असीसटेन्ट स्टोर मृन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, वार्ड ब्वाय /वार्ड

रू.387 दैनिक

रू.11610 मासिक

कुशल कर्मकार :-

अटैन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)

रिसॅपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, रू. 464 दैनिक एएनएम, ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो रू.13920 मासिक ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।

रू.427 दैनिक

रू.12810 मासिक

उच्च कुशल कर्मकार:-

रू.447 दैनिक स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ रू.483 दैनिक तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, रू.14490 मासिक रू.13410 मासिक एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:-

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- अक्शल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन (i) अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- अर्द्ध-क्शलः अर्द्ध-क्शल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो (ii) जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-क्शलः उच्च-क्शल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो क्शल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियका बास् ईगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला—2 15. घरेलू कामगार 23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"घरेलू कामगार"**के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी!

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और

उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा

गई है

उपलब्ध करवाई गई है

अक्शल कर्मकार:-

हेल्पर,आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।

रू. 400 दैनिक

रू. 338 दैनिक

रू.12000 मासिक

रू. 10140 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड, माली ।

रू.423 दैनिक

रू.351 दैनिक

रू.12690 मासिक

रू.10530 मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रू.464 दैनिक

रू.373 मासिक

रू.13920 मासिक

रू.11190 मासिक

टिप्पणीः

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला–2

23.09.2024

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"सफाई कर्मचारी नियोजन"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	ং ন.400	रू.12000
अर्ध- कुशल कर्मकार :-		
	रू.413	₹5.12390
कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।		
कुशल कर्मकार :-		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री	₹5.464	र्फ.13920
ऑपरेटर और कैशियर।		
उच्च कुशल कर्मकार:-		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर।	₹5.553	ক. 16590

टिप्पणी:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध कुशलः अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला-2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्युरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः शिमला—2

23.09.2024

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाए" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:–	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	ক.400	रू.12000
अर्ध-कुशल कर्मकार:-		
सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।	रू.413	रू.12390
कुशल कर्मकार :-		
सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर,अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	ক.464	र्फ.13920
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।		
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सिक्योरिटी ऑफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	₹5.553	₹७. 16590

टिप्पणी:-

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीण हाइड्रो विधुत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागु होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध कुशलः अर्द्ध कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्युनतम मजद्री सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसुचित कर्मकारों की न्युनतम मजदुरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जहां भोजन,चाय और संयुक्त

आवास सुविधा उपलब्ध

करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :--

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रू. 400 दैनिक

रू.371 दैनिक

रू. 12000 मासिक

रू.11130 मासिक

अर्घ-कुशल कर्मकार:

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल रू.423 दैनिक

रू.413 दैनिक

अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, रू.12690 मासिक

रू.12390 मासिक

माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट

अटेन्डेट ।

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, रू.464 दैनिक

रू. 427 दैनिक

मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर रू.13920 मासिक

रू.12810 मासिक

ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्परवाईजर, स्परिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक,स्टेनो ग्राफर रू.483 दैनिक

रू.447 दैनिक

और अकाउन्टेन्ट

रू.14490 मासिक

रू.13410 मासिक

टिप्पणी:-

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्डन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशलः कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

शिमला-2

23.09.2024

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार[ं]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:— कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-

न्यूनतम

मजदूरी मासिक

चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।

दैनिक **रू.400**

रू.12000

अर्घ-कुशल कर्मकार :-

कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और **रू.413 प्रतिदिन रू.12390 प्रतिमाह** कम्पलेन्ट अटैन्डैट ।

कुशल कर्मकार:-

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री **रू.464 प्रतिदिन रू.13920 प्रतिमाह** ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रू.553 प्रतिदिन

र्फ.16590

प्रतिमाह

टिप्पणी:-

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाशा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध—कुशलः अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला-2

समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

- 4 वरिष्ट निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)